



षोडश बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-04

बुधवार, दिनांक- 30 नवम्बर, 2016 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.13 बजे अप० तक

[1] अन्य चर्चाएँ :-

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के पश्चात् आसन से सभी माननीय सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि कल जैसी स्थिति सदन में बनी है वह सबों के लिए चिन्ता का विषय है । सदन की कार्यवाही अच्छे ढंग से चले इसके लिए आज 10 बजे पूर्वा० में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई और सबों ने एकमत से इसपर राय जाहिर की है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि सदन व्यवस्थित रूप से चले इसके लिए अगर कोई अपने विचार रखना चाहते हैं तो रखें ।

तदोपरान्त निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे:-

1. श्री प्रेम कुमार, माननीय नेता प्रतिपक्ष
2. श्री सदानंद सिंह
3. श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य
4. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, माननीय मंत्री, वित्त
5. श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, उर्जा
6. श्री नंद किशोर यादव

सभी माननीय सभासदों का विचार सुनने के पश्चात् आसन से विस्तारपूर्वक कल हुई घटना को न करने का सभी दल के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि यह सदन सबका है जबतक दोनों पक्ष मिलकर चलाइयेगा नहीं, चलेगा नहीं । आसन तो दोनों का सहयोग चाहता है और आसन को खुशी है, आसन आभारी है कि जिन नेताओं ने भी अपने विचार रखे हैं सबके विचार सदन को मर्यादित ढंग से चलाने के लिए है । इसलिए जो भी कल अप्रिय, अशोभनीय, असंसदीय घटना घटी वह खेदजनक है । उन सब की निंदा करते हुए आसन आप सबका सहयोग चाहता है ।

[2] प्रश्नोत्तर काल :-

- (i) 12 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
- (ii) 06 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ ।
- (iii) 143 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[3] कार्य स्थगन :-

माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विद्या सागर केशरी, श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, श्री रामप्रीत पासवान, श्री विजय कुमार खेमका, श्री ललन पासवान, श्री सुरेश कुमार शर्मा, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ० सी०एन० गुप्ता, श्रीमती भागीरथी देवी, श्री जिवेश कुमार एवं श्री वृज किशोर विंद से प्राप्त कार्य स्थगन सूचना के नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गई ।

[4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निर्मांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

- (i) श्री अमीत कुमार
- (ii) श्री वशिष्ठ सिंह
- (iii) श्री मो० नेमतुल्लाह
- (iv) श्री विनोद प्रसाद यादव
- (v) श्री भाई वीरेन्द्र
- (vi) श्रीमती बेबी कुमारी
- (vii) श्री मो० नवाज आलम

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

- (i) श्री समीर कुमार महासेठ का परिवहन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण की सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, श्री चंद्रिका राय द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।
- (ii) श्री मिथिलेश तिवारी का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना अपृष्ठ हुआ ।

[6] सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

- (i) माननीय सभापति, लोक लेखा समिति, श्री नंद किशोर यादव द्वारा समिति का 602वाँ, 603वाँ, 604वाँ, 607वाँ, 608वाँ, 609वाँ, 610वाँ, 611वाँ, 612वाँ एवं 613वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।
- (ii) माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, श्री हरिनारायण सिंह द्वारा समिति का 186वाँ, 187वाँ, 188वाँ एवं 189वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।
- (iii) माननीय सभापति, आचार समिति, श्री सदानंद सिंह द्वारा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

“इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न माँगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए । आसन द्वारा उन्हें अपनी सीट पर जाकर अपनी बात कहने का अनुरोध किया गया, किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।”

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 2.15 बजे अप० तक)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[7] विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-

- (i) बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2016 :-

माननीय प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग, श्री चन्द्रिका राय द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खण्डशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री चन्द्रिका राय द्वारा स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(ii) आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 :-

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विपक्ष के माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री श्रवण कुमार द्वारा स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iii) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 :-

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विपक्ष के माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री श्रवण कुमार द्वारा स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[8] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 40 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएंगे ।

“इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न माँगों को लेकर वेल में आ गये और शोरगुल करने लगे ।”

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-30 नवम्बर, 2016

राम श्रेष्ठ राय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।